...यालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट चौमू (जयपुर)

...सीन अधिकारी :– हिम्मत सिंह

...न. 61/2019

उनवान

1. सिमरन कौर पत्नी रणदीप सिंह बग्गा, जाति पंजाबी, निवासी रामपथ, श्यामनगर, जयपुर।

बनाम

1. धन्नालाल पुत्र मैदाराम
2. बाबूडी देवी पत्नी भगवान सहाय
3. भगवान सहाय पुत्र मैंदाराम
4. श्रवण लाल पुत्र मैदाराम
   समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम उदयपुरिया, तहसील चौमूं जिला जयपुर।
5. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर, तहसीलदार तहसील चौमूं जिला जयपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0 एक्ट

निर्णय दिनांकः– 11.12.2019

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी ने निवेदन किया है कि वाके ग्राम उदयपुरिया, भू0अ0नि0 क्षेत्र उदयपुरिया, तहसील चौमूं में स्थित भूमि खसरा नम्बर 2302 रकबा 1.30 है0, खसरा नम्बर 2303 रकबा 0.53 है0 कुल किता 2 का कुल रकबा 1.83 है0 स्थित है जो सम्पूर्ण की खातेदारी प्रार्थीया के नाम से राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। तथा खसरा नम्बर 2305 रकबा 0.60 है0, खसरा नम्बर 2306 रकबा 0.18 है0, ख0न0 2307 रकबा 0.49 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.27 है0 भूमि अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 प्रार्थीया की भूमि की पडौसी खातेदार काश्तकार है।

प्रार्थीया की उक्त मद संख्या 1 में वर्णित भूमि मे पत्थरगढी व तारबन्दी नहीं होने से आवारा पशु, मवेशी, नील गाय प्रार्थीया की खातेदारी भूमि में प्रवेश कर फसल को नष्ट–भ्रष्ट करते है तथा शांतिपूर्ण काश्त करने में व्यवधान कारित करते है, सीमाचिन्हों को आये दिन नष्ट–भ्रष्ट करते है जिससे प्रार्थीया का शांतिपूर्वक काश्त करना दुर्लभ हो गया है।

प्रार्थीया की भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 16.05.19 को श्रीमान् तहसीलदार साहब चौमूं के आदेश क्रमांक/भू0अ02019/1727–28 दिनांक 08.05.19 की पालना में बहमराह पटवारी हल्का उदयपुरिया व पटवारी हल्का हाडोता ग्राम उदयपुरिया के खसरा नम्बर 2302, 2303 किता 02 रकबा 1.83 है0 के मौके पर बाबत् सीमाज्ञान पहुंचा। मौके पर आवेदक एस0एन0जी रियल एस्टेट प्रा0लि0 के प्रतिनिधि श्री रणदीप बग्गा नि0 श्याम नगर, जयपुर व अन्य पडौसी काश्तकार उपस्थित मिले। सर्वप्रथम खसरा नम्बर 2318 गै0मु0 चाह से खसरा नम्बर 2302 के द0पूर्वी कोने पर जरीब चलाई। जिसे खसरा नम्बर 2300 गै0मू0 चाह से जरीब चलाकर टकराया गया। इसी कोने से पश्चिम मे जरीब चलाकर खसरा नम्बर 2302 के द0पश्चिम कोना कायम किया गया। जिसको खसरा नम्बर 2300 से जरिब चलाकर टकराया गया । इस कोने से उत्तर में जरीब चलाकर खसरा

उपखण्ड अधिकारी
चौमूं, जिला जयपुर

Scanned by CamScanner

2303 का उत्तरी पश्चिमी कोना कायम किया जिसे खसरा नम्बर 2300 गै0मु0 चाह जरीब चलाकर टकराया गया। इसी प्रकार शेष सीमाओं का सीमाज्ञान मौके पर तहरीर कर उपस्थित के हस्ताक्षर करवाये गये। जिस सीमाज्ञान रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीया अपनी खसरा नम्बरों की भूमि की पत्थरगढी करवाना चाही है जिस हेतु न्यायालय श्रीमान के समक्ष उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य हुआ।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन हैं कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अप्रार्थी संख्या 5 को आदेशित किया जावें कि वह सीमाज्ञान रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीया की खातेदारी भूमि वाके ग्राम उदयपुरिया पटवार हल्का उदयपुरिया , भू0अ0नि क्षेत्र उदयपुरिया में स्थित भूमि खसरा नम्बर 2302 रकबा 1.30है0, खसरा नम्बर 2303 रकबा 0.53 है0 कुल किता 2 का कुल रकबा 1.83 है0 की पत्थरगढी करने के आदेश प्रदान करें जिससे प्रार्थीया की भूमि की सुरक्षा हो सके।

प्रार्थना पत्र पर पक्षकारों को सुना गया। पत्रावली, जवाब प्रार्थना पत्र, दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थी संख्या 2 बावजूद तामिल अनुपस्थित। अतः इनके विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के द्वारा सीमाज्ञानुसार पत्थरगढी करने हेतु सहमति दी हैं। प्रार्थी आवेदित आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। नियमानुसार प्रत्येक खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाने का कानूनन हक अधिकार प्राप्त है। प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान तहसीलदार चौमू के आदेश से दिनांक 16.05.19 को पटवारी हल्का हाडौता व पटवारी हल्का उदयपुरिया द्वारा करवाया जा चुका है। लिहाजा प्रार्थी का प्रा0पत्र पत्थरगढी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रा0पत्र बाबत् पत्थरगढी का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार चौमू को आदेश दिये जाते है कि यदि किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तथा मौके पर फसल न हो तो सीमाज्ञान दिनांक 16.05.19 के अनुसार उभयपक्षकारों को सूचित करते हुये पत्थरगढी की कार्यवाही करवाना सुनिश्चित करें। तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 11.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह) जयपुर
उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड मजिस्ट्रेट
चौमूं (जयपुर)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2020.02.01 11:37:56 IST
Reason: SelfAttested
Location: